**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 97**

**सोमवार, 17 जुलाई, 2017/ 26 आषाढ़, 1939 (शक)**

**राष्‍ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए धन**

97. **श्री नारायण लाल पंचारिया:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वित्‍त वर्ष के दौरान राष्‍ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) राजस्‍थान में राष्‍ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव पर कितनी आवंटित राशि व्‍यय करने का प्रस्‍ताव है;

(ग) बड़ी मरम्‍मत के लिए राष्‍ट्रीय राजमार्गों में परस्‍पर प्राथमिकता का निर्णय करने के लिए क्‍या कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं;

(ड.) क्‍या बड़ी मरम्‍मत की जरूरत के मद्देनजर राष्‍ट्रीय राजमार्गों की हालत का आकलन करने के लिए कोई तंत्र है; और

(च) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क) एवं (ख):** पूरे देश के लिए 2017-18 के दौरान राष्‍ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण व मरम्‍मत हेतु 2,875.75 करोड़ रु. की राशि आंबटित की गई है । अभी तक, वर्ष 2017-18 के दौरान राष्‍ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण व मरम्‍मत हेतु राजस्‍थान राज्‍य के लिए 77.38 करोड़ रु. की राशि आंबटित की गई है ।

**(ग) एवं (घ):** राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर बड़े मरम्‍मत-कार्यों सहित राष्‍ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण व मरम्‍मत-कार्य को निष्‍पादित करने की पारस्‍परिक प्राथमिकता आमतौर पर क्षतियों के स्‍वरूप व सीमा, राष्‍ट्रीय राजमार्ग खंडों की समग्र स्‍थिति, यातायात घनत्‍व, राष्‍ट्रीय राजमार्गों, दोष देयता अवधि (डीएलपी) दायित्‍व के अंतर्गत आने वाले राष्‍ट्रीय राजमार्ग खंडों अथवा निर्माण, प्रचालन व अंतरण (बीओटी)/प्रचालन, अनुरक्षण व अंतरण (ओएमटी) रियायतों के अंतर्गत आने वाले राष्‍ट्रीय राजमार्ग खंडों की यातायात-अनुकूल स्‍थिति के सुनिश्‍चयन हेतु किए जाने वाले न्‍यूनतम आवश्‍यक कार्यों, राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर सतत कार्यों, नए विकास कार्यों के लिए शुरू की गई कार्रवाई की स्‍थिति, निधियों की उपलब्‍धता आदि पर निर्भर करती है ।

**(ड.) एवं (च):** राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर बड़े मरम्‍मत-कार्यों की आवश्‍यकता का मूल्‍यांकन क्षतियों के स्‍वरूप व गंभीरता के आधार पर किया जाता है । राष्‍ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षतियों का मूल्‍यांकन करने के लिए विस्‍तृत जांच की जाती है । विस्‍तृत जांच के परिणाम के आधार पर स्‍थायी स्‍वरूप के बड़े कार्यों को करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा तदनुसार कार्यों की संस्‍वीकृति की जाती है/कार्यान्‍वयन किया जाता है । तथापि, उस समय तक पारस्‍परिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्‍धता के अनुसार राष्‍ट्रीय राजमार्गों को यातायात-अनुकूल स्‍थिति में बनाए रखने के लिए अस्‍थायी मरम्‍मत-कार्य किए जाते हैं ।

\*\*\*\*\*